

## ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ अंतर्वाह

### प्रलिमिस के लिये:

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उत्पादन-लकिंड प्रोत्साहन योजना

### मेन्स के लिये:

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त होने के विभिन्न रूट्स/रास्ते, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्ति के संदर्भ में सरकारी प्रयास

### चर्चा में क्यों?

भारत सरकार को वर्ष 2020 में अप्रैल से अगस्त माह के दौरान **35.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ ( Foreign Direct Investment- FDI) प्राप्त हुआ है जो कसी वित्तीय वर्ष के पहले 5 माह में प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उच्चतम मात्रा है।

### प्रमुख बांधिः:

- पहली तमाही (अप्रैल-जून 2020) में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) **23.9%** रहने के बावजूद FDI प्रवाह में वृद्धिदेखी गई है।
- **FDI में हालिया बढ़ोतरीः**
  - वर्ष 2019-20 ( 31.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में वर्ष 2020-21 के पहले 5 माह में 13% अधिक FDI ( 35.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर) प्राप्त हुआ है।
    - FDI के कुल अंतर्वाह में **55%** की वृद्धिहुई जो वर्ष 2008-14 के **231.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से बढ़कर वर्ष 2014-20 में **358.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर** रहा।
  - वर्ष 2020 में अप्रैल से अगस्त माह के दौरान **FDI इक्वटी प्रवाह** (FDI के तीन घटकों में से एक) **27.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर** रहा। जो वित्तीय वर्ष के पहले 5 माह के लिये FDI के इक्वटी प्रवाह की उच्चतम मात्रा है। साथ ही वर्ष 2019-20 के पहले पाँच माह (23.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में **16%** अधिक है।
  - सरकार द्वारा FDI नीति में सुधार करने, निवेश नीतिको सुगम बनाने इत्यादि मोरचों पर कायि गए उपायों के परणामस्वरूप देश में FDI अंतर्वाह की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है।

UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रपोर्ट (World Investment Report), 2020 के अनुसार, वर्ष 2019 में सबसे अधिक FDI प्राप्तकरता देशों में भारत **9वें** स्थान पर रहा।

### FDI बढ़ाने हेतु सरकारी प्रयासः

- वर्ष 2020 में इलेक्ट्रॉनिक वनिरिमाण क्षेत्र के लिये ‘उत्पादन-लकिंड प्रोत्साहन’ (Production-Linked Incentive-PLI) जैसी योजनाओं को अधिकाधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिये अधिसूचित किया गया है।
- वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा कोयला खनन गतिविधियों में स्वचालित मार्ग ( Automatic Route) के तहत **100%** FDI की अनुमति देने के लिये FDI नीति 2017 में संशोधन किया गया।
- इसके अलावा सरकार द्वारा डिजिटल क्षेत्र में **26%** FDI की अनुमति दी गई है। इस क्षेत्र में भारत में अनुकूल जनसांख्यिकी, प्रयाप्त मोबाइल एवं इंटरनेट उपभोक्ताओं के उच्च FDI प्राप्तकी संभावना विद्यमान है, जो बड़े पैमाने पर खपत एवं प्रौद्योगिकी (Consumption Along with Technology) के साथ-साथ विदेशी निवेशकों को भारत में एक शानदार एवं संभावनाओं से युक्त बाजार उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करता है।
- वनिरिमाण क्षेत्र में पहले से ही **100%** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग के तहत हो रहा था, हालाँकि वर्ष 2019 में सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुबंध निरिमाण (Contract Manufacturing) में संलग्न भारतीय संस्थाओं में स्वचालित मार्ग के तहत **100%** निवेश की अनुमति है, बशर्ते कियह निवेश एक वैध अनुबंध के माध्यम से किया जाना चाहयि।

- **अनुबंध वनिरिमाण:** इसमें कसी अन्य फरम के लेबल या ब्रांड के तहत कसी फरम द्वारा माल का उत्पादन करना शामिल है।
- **वदिशी नविश सुवधा पोर्टल (Foreign Investment Facilitation Portal-FIFP)** नविशकों को FDI की सुवधा देने के लिये भारत सरकार का एक ऑनलाइन एकल बटु इंटरफ़ेस है। इसे 'उद्योग और आंतरकि व्यापार, वाणजिक एवं उद्योग मंत्रालय के संवरद्धन वभिग' (Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

## प्रत्यक्ष वदिशी नविश में वृद्धि से उम्मीदें:

- जैसा ही ट्रेन के नजी संचालन और हवाई अड्डों के निरिमाण के लिये बोली लगाने की प्रक्रिया की अनुमति देने के सरकार के कदमों में वदिशी नविशकों द्वारा रुचिरिखाई गई। वैसे ही मार्च 2020 में सरकार द्वारा अनविसी भारतीयों (Non-Resident Indians- NRIs) को एयर इंडिया की 100% हसिसेदारी प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।
- **रक्षा वनिरिमाण (Defence Manufacturing)** जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में सरकार द्वारा मई 2020 में स्वचालित मार्ग के तहत FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है, सरकार का यह कदम आगे भी बढ़े नविश आकर्षित कर सकता है।

## प्रत्यक्ष वदिशी नविश:

- FDI एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश (मूल देश) के नविसी कसी अन्य देश (मेज़बान देश) में एक फरम क्षेत्रपादन, वतिरण और अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संपत्तिका स्वामतिव प्राप्त करते हैं।
  - यह **वदिशी पोर्टफोलियो (Foreign Portfolio Investment-FPI)** नविश से भिन्न है, इसमें वदिशी इकाई केवल एक कंपनी के स्टॉक और बॉन्ड खरीदती है लेकिन यह FPI नविशक को व्यवसाय पर नियंत्रण का अधिकार नहीं प्रदान करता है।
- FDI के प्रवाह में शामिल पूँजी कसी उद्यम के लिये एक वदिशी प्रत्यक्ष नविशक द्वारा (या तो सीधे या अन्य संबंधित उद्यमों के माध्यम से) प्रदान की जाती है।
- FDI में तीन घटक- **इक्विटी कैपिटल (Equity Capital), पुनर्नविशति आय (Reinvested Earnings) और इंट्रा-कंपनी लोन (Intra-Company Loans)** शामिल हैं।
  - इक्विटी कैपिटल वदिशी प्रत्यक्ष नविशक की अपने देश के अलावा कसी अन्य देश के उद्यम के शेयरों की खरीद से संबंधित है।
  - पुनर्नविशति आय में (प्रत्यक्ष इक्विटी भागीदारी के अनुपात में) प्रत्यक्ष नविशकों द्वारा की गई कमाई शामिल होती है जसी कसी कंपनी के सहयोगियों (Affiliates) द्वारा लाभांश के रूप में वतिरण नहीं किया जाता है या यह कमाई प्रत्यक्ष नविशक को प्राप्त नहीं होती है।
  - इंट्रा-कंपनी लोन या लेन-देन में प्रत्यक्ष नविशकों (या उद्यमों) और संबद्ध उद्यमों के बीच अल्पकालिक या दीर्घकालिक उधार और नधियों का उधार शामिल होता है।

## भारत में FDI आने का मार्ग:

- **स्वचालित मार्ग (Automatic Route):** इसमें वदिशी संस्था को सरकार या RBI की पूर्व स्वीकृतिलेने की आवश्यकता नहीं होती है।
- **सरकारी मार्ग (Government Route):** इसमें वदिशी संस्था को सरकार की स्वीकृतिलेनी आवश्यक होती है।
  - **वदिशी नविश सुवधा पोर्टल (Foreign Investment Facilitation Portal- FIFP)** उन आवेदनों (Applications) को 'एकल खड़िकी निकासी' (Single Window Clearance) की सुवधा प्रदान करता है जो अनुमोदन मार्ग (Approval Route) से प्राप्त होते हैं।

## आगे की राह:

प्रत्यक्ष वदिशी नविश (Foreign Direct Investment-FDI) आरथिक विकास का एक प्रमुख प्रेरक बल है तथा भारत के आरथिक विकास के लिये गैर-ऋण वतित का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी। अतः एक मजबूत एवं आसानी से सुलभ होने वाला FDI सुनिश्चित किया जाना चाहयि।

इस प्रकार महामारी के बाद की अवधि में आरथिक विकास तथा भारत का बाजार देश में बढ़े नविशों को आकर्षित करेगा।

## स्रोत: द हट्टू